निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 7 / 2022 तारीख दायरा 20.01.2022

उनवान

निर्मला बाई पुत्री देवलाल पत्नि धनराज जाति धाकड निवासी रेलावद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – अप्रार्थी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील प्रार्थी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

COURT FEE Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसम्बर–7 DECEMBER ARMED FORCES FLAG DAY

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम रेलावद पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
102	98	312	0.6500 है.

कुल किता 1 की 0.6500 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
30	29	105/449	0.0200 है.

कुल किता 1 की 0.0200 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
29	28	304	0.7000 है.

कुल किता 1 की 0.7000 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
101	99	172	0.4300 है.
		173	0.1400 है.
		174	0.1900 है.
		183	0.5300 है.

कुल किता 4 की 1.2900 हैक्टर आराजी

प्रार्थना पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम अधिकार अभिलेख में प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम खाता संख्या 101 मे बरफी बाई ही दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 29, 30, 102 में बरफीबाई उर्फ निर्मला बाई दर्ज है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, जन आधार, राशनकार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी दस्तावेजात में निर्मला बाई पुत्री देवलाल पत्नि धनराज जाति धाकड निवासी रेलावद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान दर्ज है। प्रार्थी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम व रेकार्डेड नाम है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

प्रार्थी का नाम अधिकार अभिलेख में व अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड जन आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम भिन्न होने से सरकार की योजनाओं का लाभ लेते समय खाते में सही करवाने की कहने से खाते में नाम सही करवाना आवश्यक होने पर प्रार्थी पटवारी हलका के पास नाम सही करवाने के लिए गई तो पटवारी हलका द्वारा अदालत से आदेश लाने पर नाम सही करने की कहने से माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थी पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर नाम दुरूस्त कर डिकी सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

माल ग्राम रेलावद पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
102	98	312	0.6500 है.

कुल किता 1 की 0.6500 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
30	29	105/449	0.0200 है.

कुल किता 1 की 0.0200 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
29	28	304	0.7000 है.

कुल किता 1 की 0.7000 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
101	99	172	0.4300 है.
		173	0.1400 है.
		174	0.1900 है.
		183	0.5300 है.

कुल किता 4 की 1.2900 हैक्टर आराजी

शस्त्र सेना झंडा दिवस
दिसम्बर-7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

उक्त आराजी में दर्ज प्रार्थी के नाम बरफी बाई उर्फ निर्मला बाई के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री देवलाल जाति धाकड निवासी रेलावद तह सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, अप्रार्थी ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार किया। हलका पटवारी से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जिसने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है व प्रार्थी की प्रार्थना को उचित बताया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिपोर्ट हलका पटवारी तथा जवाब अप्रार्थी से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी ने उनके प्रार्थना पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम रेलावद पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

खाता सख्या		खसरा नम्बर	रकबा
नई	पुरानी		
102	98	312	0.6500 है.

कुल किता 1 की 0.6500 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
30	29	105/449	0.0200 है.

कुल किता 1 की 0.0200 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
29	28	304	0.7000 है.

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

प्रमाणित प्रतिलिपि

...अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

कुल किता 1 की 0.7000 हैक्टर आराजी

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
101	99	172	0.4300 है.
		173	0.1400 है.
		174	0.1900 है.
		183	0.5300 है.

कुल किता 4 की 1.2900 हैक्टर आराजी

उक्त आराजी में दर्ज प्रार्थी के नाम बरफी बाई उर्फ निर्मला बाई के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री देवलाल जाति धाकड निवासी रेलावद तह सांगोद जिला कोटा दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक–

दिनांक–

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 36/2022 उनवान निर्मला बाई बनाम सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 7/22 उनवान निर्मला बाई बनाम सरकार के न्यायालय में दिनांक 12.3.25 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 25/6/25 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–

निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

36/22

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 856

दिनांक– 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बावत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 7/2022 उनवान निर्मला बाई / राज सरकार में जारी डिक्री दिनांक 20/1/23 की पालना में ग्राम रेलावद में नामान्तरकरण सं. 323 दिनांक 01/6/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)
तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

सम्वत :- 2076 - 2079
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 102
खाता संख्या पुराना :- 98

ावद
ड़िया
ावरकलाँ

देवलाल हिस्सा- 1/5 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.241 शुद्धि पत्र सं.1,3
;(पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बपावरकला
ी देवलाल हिस्सा- 1/5 जाति- धाकड सा. रेलावद हाल मुकाम बपावरकला खातेदार
(पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बपावरकला
स्व. देवलाल हिस्सा- 1/5 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.241 शुद्धि पत्र सं.1,3
(पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बपावरकला
्र देवलाल हिस्सा- 1/5 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.241 शुद्धि पत्र सं.1,3
(पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बपावरकला
लाल हिस्सा- 1/5 जाति- धाकड़ सा. देह खातेदार अ.विव.- नामा.न.241 शुद्धि पत्र सं.1,3
(पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बपावरकला,

ल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
)0	चाही सोयम	0.6500	14.30		स्वीक्रत नामांतरकरण : 323 01/06/2022 न्याया. आदेश	
)0		0.6500	14.3000			

की जानकारी के लिए है।
ी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।